

Benefits to PG Doctors

107. SH. GHANSHYAM DASS (Yamunanagar):

14/16/422

Will the Health Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that there is no extra benefit in salary given to the specialist PG Doctors in comparison to MBBS Doctors and no specialist cadre has been formulated by the Government so far even after the announcement made by Hon'ble Chief Minister;
- b) Whether it is also a fact that there are so many drawbacks in the draft formulated recently for special cadre by the Government as a result of which it is still lying pending for implementation; and
- c) If so, the time by which the said draft/proposal is likely to be implemented after resolving the drawbacks?

ANIL VIJ, HEALTH MINISTER

- a) No Sir. Specialist doctors who join as medical officers in the department of health are provided six additional increments at the time of joining. The formation of a separate specialist cadre is in process.
- b) No Sir.
- c) Comments on the 'specialist cadre' draft, which was uploaded on the website of health department, have been received. Final version should be implemented soon after necessary concurrence by the finance department.

स्नातकोत्तर चिकित्सकों को लाभ देना

107 श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) :

14 / 16 / 422

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों की तुलना में विशेषज्ञ स्नातकोत्तर चिकित्सकों को वेतन में अधिक लाभ नहीं दिया जा रहा तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद भी अब तक सरकार द्वारा विशेषज्ञ कैडर नहीं बनाया गया;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि सरकार द्वारा हाल ही में विशेष कैडर के लिए बनाए गए प्रारूप में बहुत सी खामियां हैं जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यान्वयन के लिए अभी भी लंबित पड़ा हुआ है; तथा

(ग) यदि हां, तो खामियों को दूर करने के बाद उक्त प्रारूप/प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री

(क) नहीं, श्रीमान जी। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को कार्यग्रहण के समय 6 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान की जाती हैं। एक अलग स्पेशलिस्ट काडर के गठन की प्रक्रिया जारी है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

(ग) स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर स्पेशलिस्ट काडर का प्रारूप अपलोड किया गया है। स्पेशलिस्ट काडर के ड्राफ्ट पर आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वित्त विभाग की आवश्यक सहमति के उपरान्त अन्तिम संस्करण शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।